राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 916/2012/जयपुर

सहायक आयुक्त
एई जोन ।।, जयपुर
.....अपीलार्थी

बनाम

मै गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर्स
मुम्बई
.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उपराजकीय अभिभाषक
.....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत अभिभाषक
..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त अपील्स, प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 290(ए)/आर वेट/एई–।।/ एनआरडी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन संभाग द्वितीय (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2010 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) व (12) के तहत् आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोन–।। जयपुर द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे–01–जीए 4689 को अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर चैक किया गया। माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में मैसर्स गुजरात महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर का चालान संख्या 1716/03.08.2010 एवं जीआर 41159, 41171, 41172, 41179, 41180 दिनांक 03.08.2010 के साथ विक्रय इन्वायस पेश किये गये। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा विभागीय कम्प्यूटर पर की गई जांच के आधार पर विक्रेताओं का पंजीयन होना नही पाया गया। बाद में प्रकरण सशक्त अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया जिनके द्वारा बाद नोटिस, प्राप्त प्रत्युत्तर से असंतुष्ट कर रूपये 44,695/– तथा शास्ति रूपये 2,68,170/– कुल रूपये 312865/–आरोपित किया गया। सशक्त अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 14.11.2011 द्वारा आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त आदेश को अपास्त करने तथा अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि परिवहनित माल दिल्ली से सूरत(गुजरात) जा रहा था। माल से सबंधित चालान, बिल आदि वक्त चैकिंग पेश कर दिये गये थे। राज्य के बाहर से राज्य के बाहर माल परिवहनित होने पर राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की शास्ति का आरोपण अविधिक है। सशक्त अधिकारी द्वारा माल भेजने एवं पाने वाले की स्वतंत्र रूप से कोई जांच नहीं की गई केवल अनुमान के आधार पर कर व शास्ति का आरोपण किया गया है ऐसे में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिमान्य है।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड देखा गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में लिखा है कि साक्ष्यों के आधार पर माल राज्य के बाहर सूरत जाना प्रमाणित है।राज्य में माल उतारना या खाली होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष